स्पीड पोस्ट

उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-05/2019/56/सोलह-2-2019-21(ई)/2018
लखनऊ: दिनांक: 13 फरवरी, 2019

नियुक्ति/विज्ञप्ति

प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ0प्र0 में प्रवक्ता टेक्सटाइल टेक्नालॉजी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता टेक्सटाइल टेक्नालॉजी के पद पर वेतनमान रू0-15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0-5400/- में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम सर्वश्री-	स्थायी पता	तैनाती की संस्था
1	3	4	5
1.	पलाश कुमार पात्रा पुत्र श्री निशीथ कुमार पात्रा	ग्राम-चक्कीशोर, पोस्ट-सेंताखेरी, दासपुर, जिला-पश्चिम मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल-721180	राजकीय पालीटेक्निक, कुरू, पिण्डरा, वाराणसी
2.	प्रज्ञा सिंह पत्नी श्री अरविन्द कुमार सिंह	ग्राम व पोस्ट-सिकटा, थाना-कुबेरस्थान, जिला-कुशीनगर उ0प्र0-274303	राजकीय पालीटेक्निक, कुरू, पिण्डरा, वाराणसी
3.	आलोक कुमार पुत्र श्री राज कुमार	म0न0-258 ए-94, नयी बस्ती मुदाल बनारसीदास, औरैया, जिला-औरैया, उ0प्र0-206122	राजकीय पालीटेक्निक, सरायजीत, सीतापुर
4.	अवध बिहारी गुप्ता पुत्र स्व0 श्री लल्लन प्रसाद गुप्ता	एस-2/635ए, सिकरौल, सेन्टल जेल रोड, कैण्ट, वाराणसी उ0प्र0-221002	राजकीय पालीटेक्निक, हिन्डालपुर, ढौलना, हापुड़
5.	नीलम सिंह पुत्री श्री उदय लाल सिंह	ग्राम व पोस्ट-सिकटा, थाना-कुबेरस्थान जिला- कुशीनगर उ0प्र0-274303	राजकीय पालीटेक्निक, हिन्डालपुर, ढौलना, हापुड़

2- संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3- संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4- संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।

5- संबंधित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संबंधित अभ्यर्थियों को 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

(सुरजन)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in